

## ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीटासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

पार्थी के खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीसेवा  
न मुअनि मे.ए.मु.ए.ए. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मु-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम द्वारागोरी तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2074 में खाता संख्या 49 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं - रक्षी उषी धालीराम गाडी

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>द्वारागोरी</u>	49	<u>SBBJ शाखा</u> <u>राजसमन्द</u>	<u>SBI शाखा</u> <u>राजसमन्द</u>


  
**सहायक कलेक्टर**  
पीटासीन अधिकारी  
**(उप खण्ड अधिकारी)**  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलेक्टर

क्रमांक:- राजस्व/2025/128  
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 03.10.25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... का सूचनाथं।
3. रक्षित पत्रावली।

  
**सहायक कलेक्टर**  
पीटासीन अधिकारी  
**(उप खण्ड अधिकारी)**  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
रेलमगरा